श्री श्याम रजक
मंत्री, उद्योग विभाग
बिहार सरकार

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

श्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार

# उद्योग विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन 2018–19
वार्षिक कार्यक्रम 2019–20

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा
CMSCST उद्यमी योजना के शुभारंभ के
अवसर पर लाभुक
को चेक प्रदान करते हुए।

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा
राष्ट्रीय खादी महोत्सव
का अवलोकन

4 अगस्त 2019 को CMSCST
उद्यमी योजना के शुभारंभ
के अवसर पर संबोधित करते हुए

**श्याम रजक**
**मंत्री, उद्योग विभाग**

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

# संदेश

निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर बिहार सरकार के उद्योग विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन 2018–19 आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुये प्रसन्नता हो रही है। राज्य उद्योग एवं उद्यमिता के विकास की ओर अग्रसर है।

सरकार द्वारा किये गये नीतिमूलक निर्णय के फलस्वरूप राज्य में औद्योगिकरण की गति तीव्र हुई है। औद्योगिक निवेश को सुगम बनाने हेतु संस्थागत सुदृढ़ीकरण किया गया है। सभी प्रकार के क्लियरेन्स, अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदि के लिये ऑनलाईन क्लियरेन्स पोर्टल की व्यवस्था की गयी है। उद्योग की स्थापना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं परामर्श विभाग के अधीन कार्यरत उद्योग मित्र द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रक्षेत्र के युवा/युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना दिनांक 17.05.2018 से लागू की गयी है।

हस्तकरघा एवं रेशम एवं खादी ग्रामोद्योग बुनकरों के समग्र विकास के लिये कई परियोजनाएँ प्रारंभ की गयी है, जिससे इस क्षेत्र में उत्पादन, प्रशिक्षण, विपणन को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन की व्यवस्था की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये उद्योग विभाग के अंतर्गत वृहत, मध्यम प्रक्षेत्र तथा लघु उद्योग प्रक्षेत्र के लिए ₹535.00 करोड़ उदव्यय योजना मद में कर्णांकित था, जो कि पुनरीक्षित होकर ₹584.60 करोड़ का हो गया। इस पुनरीक्षित उद्व्यय के विरूद्ध मार्च–19 तक कुल ₹558.84 करोड़ (लगभग 95.50 प्रतिशत) व्यय हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए योजना मद में ₹710.00 करोड़ एवं स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय मद में ₹111.3925 करोड़ अर्थात कुल ₹821.3925 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

उद्योग विभाग अपनी नीतियों में सफल होकर नये औद्योगिक बिहार का सपना साकार कर सके, इसके लिये हमें निरन्तर आपके द्वारा मूल्यांकन आधारित सहयोग अपेक्षित है।

शुभकामनाओं के साथ,

भवदीय

(**श्याम रजक**)
उद्योग मंत्री, बिहार

# वित्तीय वर्ष 2018–19 की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

★ वित्तीय वर्ष 2018–2019 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत राज्य के औद्योगिक इकाइयों को देय सुविधाओं की प्रतिपूर्ति हेतु पुनरीक्षित उदव्यय ₹24775.00 लाख राशि के विरूद्ध ₹24414.44 लाख सब्सिडी विमुक्त की गयी।

- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत वर्ष 2018–19 में 80 इकाइयों को कुल ₹2079.67 लाख का भुगतान किया गया है।

★ राज्य निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 लागू होने के पश्चात् राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् द्वारा 31.03.2019 तक अनुमोदन हेतु ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों की संख्या 1178 है।

- राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से Stage-1 क्लियरेंस सहमति प्राप्त प्रस्तावों की संख्या 1028 है, जिसमें कुल प्रस्तावित पूँजी निवेश 14200.22 करोड़ है।

★ नई स्टार्ट–अप नीति, 2017 (17.03.2017 से लागू) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्टार्ट–अप हेतु कुल 2756 आवेदन तथा योजना के प्रारंभ से अबतक कुल 7312 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

- इन्क्यूबेशन हेतु संबद्ध स्टार्ट–अप की संख्या 557 है, जिसमें से अबतक 29 स्टार्ट–अप को प्रमाणीकृत किया जा चुका है।
- प्रमाणीकृत स्टार्ट–अप को अबतक प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त तथा तृतीय किस्त मिलाकर कुल ₹326.48 लाख वितरित किया जा चुका है।

★ मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना अंतर्गत अबतक प्राप्त आवेदनों की संख्या 33805 है, जिसमें से 5660 आवेदनों को चयनित किया गया है।

- इस योजना अंतर्गत चयनित आवेदकों में से 2616 आवेदकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, शेष को प्रशिक्षण देने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
- प्रशिक्षण प्राप्त 2337 आवेदकों को प्रथम किस्त के रूप में कुल ₹5889.66 लाख वितरित किया जा चुका है।

★ मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजनांतर्गत कुल 8 क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु तैयार डी.पी.आर. पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसके अन्तर्गत अबतक 7 कलस्टरों, में सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिए ₹1397.48 लाख मात्र की विमुक्ति की गई है।

★ इस वर्ष आई.टी.पी.ओ., प्रगति मैदान, नई दिल्ली के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिहार मंडप को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एवं उत्कृष्ट मंडप के लिये स्वर्ण पदक से नवाजा गया है।

★ कौशल विकास मिशन कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के बेरोजगार युवा एवं युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 8391 प्रशिक्षणार्थियों के लिए ₹2502.00 लाख अनुमानित राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- उद्योग विभाग द्वारा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उद्योग मित्र को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी नियुक्त करने के उपरांत CIPET, TRTC, FDDI, NIT, IED के साथ MOU किया गया है।

★ उद्योग मित्र में उद्यमियों के समस्या के समाधान हेतु जनवरी 2017 से कॉल सेंटर टॉल फ्री नं. 1800 345 6214 के माध्यम से माह जनवरी 2018 से नवम्बर 2018 तक उद्यमियों से कुल 19172 कॉल प्राप्त हुए जिसका जबाब दिया गया।

- उद्योग मित्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–2019 में माह मार्च–2019 तक 1834 आगन्तुक/उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु परामर्श, आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट प्रोफाईल की छायाप्रति उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया।

★ वित्तीय वर्ष 2018–19 में कृषि उत्पादों को संरक्षण/भंडारण के लिये एक ई0 रेडिएशन–सह–पैक हाउस की समेकित इकाई की स्थापना हेतु ₹5083.43 लाख मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं ₹2210.43 लाख मात्र आधारभूत संरचना निर्माण हेतु विमुक्त की गयी है।

★ सिपेट, औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर के गर्ल्स होस्टल के निर्माण की स्वीकृति हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹5.72 करोड़ व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

★ मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹1.00 करोड़ व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस हेतु पुनः बजट उपबंध प्राप्त हुए है, जिस पर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

★ खाद्य प्रसंस्करण की समेकित विकास योजनान्तर्गत मई, 2019 तक कुल 413 इकाइयों को पी.एम.ए.सी. (प्रोजेक्ट मॉनीटरींग एडवाइजरी कमिटि) की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसकी कुल परियोजना लागत ₹474399.35 लाख तथा कुल स्वीकृत अनुदान ₹94081.09 लाख है। कुल 325 इकाइयों को अनुदान स्वरूप ₹64570.00 लाख विमुक्त की गयी है। कुल 336 इकाइयाँ उत्पादनरत हैं एवं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कुल 49200 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। यह योजना 30.06.2016 को समाप्त हो गयी है। वर्त्तमान में खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय अन्तर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के लंबित दावों का निष्पादन किया जा रहा है।

## हस्तकरघा एवं रेशम प्रक्षेत्र :

- दिनांक 01 फरवरी 2019 से बिहार में हस्तकरघा पर उत्पादित वस्त्रों पर खादी की भांति बिक्री पर छूट देने का निर्णय लिया गया है ताकि क्रेता को कम दाम पर सामान मिल सके। इस योजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ के माध्यम से कराया जा रहा है। जिसके लिए ₹5.00 (पाँच) लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए नोडल एजेंसी बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ को उक्त राशि उपलब्ध करा दी गई है।

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के अन्तर्गत बुनकरों का अंशदान ₹80/–प्रति बुनकर राज्य सरकार द्वारा

वहन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत 6307 पात्र बुनकरों के लिए 80 रू0 प्रति बुनकर के दर से बुनकर बीमा अंशदान की राशि 5,04,560/– रू0 संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को उपलब्ध करा दिया गया है।

- हस्तकरघा बुनकरों को ₹10,000/–(दस हजार) प्रति बुनकर की दर से कार्यशील पूंजी हेतु ₹666.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है, इससे 6660 बुनकर लाभान्वित होंगे। यह लाभ यू0आई0डी0 उत्कीर्ण पाटी लूम धारक कम्बल बुनकरों को भी मिलेगा। योजनान्तर्गत 1498 बुनकरों को लाभान्वित किया गया है।

- बिहार राज्य के हस्तकरघा उत्पादित वस्त्रों का उपयोग सरकारी कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाय, इसके लिए चादर परदा, बेड–शीट, पिलो–कवर का दर निर्धारण किया गया है।

- पुराने हैण्डलूम को 68'' फ्रेम लूम में बदलने की योजना हेतु वित्तीय वर्ष– 2018–19 में ₹44.82 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- पुल फंड/बफर फंड योजनान्तर्गत सतरंगी चादर में लगे बुनकरों को मजदूरी के भुगतान में प्रक्रियागत विलम्ब होने की स्थिति में उन्हें ससमय मजदूरी भुगतान तथा परफॉरमेंस गारन्टी हेतु वित्तीय वर्ष– 2018–19 में पुल फंड/बफर फंड के रूप में ₹200.00 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए बिहार राज्य हस्तकरघा सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना को उक्त राशि उपलब्ध करा दी गई है।

- शीप एण्ड उल संघ के लिए पुल फंड/बफर फंड योजनान्तर्गत विभिन्न सरकारी कार्यालयों /संस्थानों को आपूर्ति की जा रही कम्बलों /वस्त्रों की राशि का भुगतान में होनेवाले विलम्ब के समाधान हेतु वित्तीय वर्ष– 2018–19 में ₹50.00 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त राशि दि बिहार स्टेट शीप एण्ड ऊल विभर्स को–ऑपरेटिव यूनियन लि0, राजवंशीनगर, पटना को उपलब्ध करा दी गई है।

- राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के सभी यू0आई0डी0 उत्कीर्ण हस्तकरघा के धारक बुनकरों एवं प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों/क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ एवं शीर्ष संघ को हैण्डलूम मार्क से निबंधित कराने की योजना के तहत् कुल ₹15.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- गया जिला स्थित सभी पावरलूम (लगभग 900) को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा स्थापित नियमों का पालन करने हेतु बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को जमा किये गये शुल्क के 60 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति एवं इस पर होने वाले अन्य व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजनान्तर्गत ₹100.00 लाख की स्वीकृति की गयी है, ताकि पावर लूम उद्योग को बन्द होने से बचाया जा सके तथा बुनकरों को रोजगार बरकरार रहे। इस योजनान्तर्गत दि. 15.01.2019 से 20.01.2019 तक पावरलूम इकाइयों की प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्ति हेतु मानपुर, गया कैंप में सी.टी.ई. के तहत 107, सी.टी.ओ. के तहत 39 आवेदन ऑन–लाईन निबंधन किया गया।

- पावर टेक्स इण्डिया योजनान्तर्गत वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, की योजना ''पावर टेक्स इण्डिया योजना'' से आच्छादित योजनाओं के तहत वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का एवं विद्युतकरघा बुनकरों को अपना अंशदान देने का प्रावधान रखा गया है। बिहार राज्य के बुनकर इस योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें, इस उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से विद्युतकरघा बुनकरों को अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत प्लेन विद्युतकरघा उन्नयन, ग्रुप वर्क शेड, यार्न बैंक योजना, सामान्य सुविधा केन्द्र के साथ ही सार्वभौमिक बीमा कवरेज अन्तर्गत विद्युतकरघा बुनकरों के लिए

₹80/– की दर से अंशदान राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजनान्तर्गत ₹5.842 लाख की स्वीकृति की गयी है।

- विद्युत करघा बुनकरों को विद्युत अनुदान योजनान्तर्गत विद्युत करघा पर वस्त्र बुनाई के लिए बिजली खपत पर ₹3.00 प्रति यूनिट की दर से विद्युत अनुदान उपलब्ध कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजनान्तर्गत ₹300.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके तहत 861 विद्युतकरघा इकाइयों को अनुदान दिया गया है।

## रेशम प्रक्षेत्र :

- सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार आदि जिलों में मलवरी उत्पादन होता है। वर्तमान में 6360 किसानों का चयन किया गया है। कुल 4610 किसानों द्वारा अबतक 2305 एकड़ में शहतूत की खेती की गयी है। 1975 लाभुकों को सिंचाई सुविधा, 2028 लाभुकों को कीटपालन उपस्कर उपलब्ध कराया गया है। 749 लाभुकों को कीटपालन घर बनाने के लिए सहायता दी गयी है। वर्ष 2018–19 में 97500 रोग मुक्त चकत्ते का कीटपालन कर लगभग 19.00 मि.टन मलवरी कोए का उत्पादन किया गया है।

- बेगूसराय जिले में अण्डी रेशम का उत्पादन होता है। वर्तमान 1373 परिवार इस उद्योग से जुड़े हैं। वर्ष 2018–19 में 8.70 मि.टन अण्डी सूत का उत्पादन हुआ है।

- बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमूई आदि जिलों में तसर विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में 5434 परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। वर्ष 2018–19 में राज्य में 36.5 मि0टन तसर रॉ सिल्क का उत्पादन हुआ है।

## खादी प्रक्षेत्र :

- वित्तीय वर्ष 2018–19 में 715 नग चरखा संस्थाओं को उपलब्ध कराया गया है। खादी पुनरूद्धार योजना के अंतर्गत अबतक कुल 1745 नग आधुनिक चरखा बिहार स्थित खादी संस्था/समितियों को वितरण किया गया है।

- कटिया चरखा का वितरणः भागलपुर एवं कुछ अन्य जिलों में जिन खादी संस्थाओं द्वारा रेशम के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, उन संस्थाओं के मांग पर वर्ष 2018 तक 930 नग कटिया चरखा उपलब्ध कराया गया है।

# उद्योग विभाग की संगठनात्मक व्यवस्था/प्रशासकीय स्वरूप

उद्योग विभाग में सचिवालय स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव हैं जिन्हें सहयोग करने हेतु संयुक्त सचिव, उप सचिव, तथा विशेष कार्य पदाधिकारी हैं।

उद्योग विभाग के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय, तकनीकी विकास निदेशालय, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय तथा खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय कार्यरत है।

## उद्योग निदेशालय

उद्योग निदेशालय के नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक हैं, जिन्हें सहयोग करने के लिए अपर निदेशक, संयुक्त उद्योग निदेशक, उप उद्योग निदेशक, सहायक उद्योग निदेशक, अर्थ अन्वेषक एवं उद्योग विस्तार पदाधिकारी हैं। इसके अलावा बिहार सचिवालय संवर्ग के प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक भी पदस्थापित है। निदेशालय का प्रमुख कार्य राज्य के अन्तर्गत उद्योगों की स्थापना, उद्यमियों को प्रोत्साहित करने एवं राज्य में पूँजी निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कार्यान्वित करना है। साथ ही उद्यमियों की समस्या का निराकरण करना एवं इसके लिए अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना है। उद्योग निदेशालय अंतर्गत एस.आई.पी.बी. (स्टेट इन्वेस्टमेनट प्रोमोशन बोर्ड) का सचिवालय भी कार्यरत है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा–5 एवं 6 में निहित प्रावधान के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के सचिवालय का गठन किया गया है। इस सचिवालय में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग–सह–औद्योगिक विकास आयुक्त, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्रम संसाधन विभाग, वाणिज्य कर विभाग, बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंम्पनी लि0, राजस्व एवं भूमि सूधार विभाग के नामित पदाधिकारी सदस्य के रूप में रहेंगे। निदेशक, उद्योग विभाग बिहार, सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगें।

## जिला उद्योग केन्द्र

जिला उद्योग केन्द्र राज्य के औद्योगिकीकरण हेतु जिला स्तरीय कार्यालय है। राज्य के सभी 38 जिलों में जिला उद्योग केन्द्र अवस्थित है, जिसका मुख्य कार्य केन्द्रीय एवं राज्य योजनाएँ यथा–प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उद्योगों की स्थापना में सहयोग करना, जिला स्तर पर उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण, जिला स्तरीय उद्योग संघों से समन्वय स्थापित कर राज्य सरकार की नीतियों से अवगत कराना एवं उससे उनको लाभान्वित कर जिला के औद्योगिक विकास को तीव्रता प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म, लघु उद्योग कलस्टर विकास योजनान्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) की स्थापना कराना, भारत सरकार की योजनान्तर्गत सूक्ष्म, लघु उद्यम कलस्टर विकास योजना (एम.एस.ई.–सी.डी.पी.) को कार्यान्वित कराना, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के तहत विशेष कलस्टर अन्तर्गत कॉमन फैसीलिटी सेन्टर स्थापित करवाना तथा इसके लिए चर्म उद्योग आधारित कलस्टर के लिए बेस लाईन सर्वे का कार्य एवं इसके अतिरिक्त टेक्सटाईल/अपेरल कलस्टर की स्थापना के लिए बेस लाईन सर्वे का कार्य जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र की ईकाई, जिन्होंने अपना उत्पादन कार्य शुरू कर दिया है वे ऑन–लाईन आवेदन कर उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व के उद्यमी ज्ञापन ई.एम.–1, ई.एम.–2 व्यवस्था को समाप्त कर दी गयी है।

इसके साथ ही साथ जिला के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जाता है। जिला उद्योग केन्द्र के नियंत्री पदाधिकारी महाप्रबंधक होते हैं तथा इनके सहायतार्थ कार्यकारी प्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, अर्थ अन्वेषक, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, कनीय सांख्यिकी सहायक एवं अन्य कार्यालय कर्मी होते हैं। उद्यमियों की समस्याओं के समाधान हेतु महाप्रबंधक को जिले के अन्दर सभी प्रकार की प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियाँ उद्योग निदेशालय द्वारा प्रदत्त है।

## तकनीकी विकास निदेशालय

तकनीकी विकास निदेशालय द्वारा मुख्य रूप से आधुनिक औद्योगिक आधारभूत संरचना का विकास, उद्यमिता विकास, गुणवत्ता एवं उत्पादकता तथा बृहत उद्योग प्रक्षेत्र में पूँजी निवेश के प्रस्तावों का समन्वय एवं अनुश्रवण के साथ–साथ उद्यमियों को परियोजनाओं के चयन में परामर्श दिया जाता है। नई औद्योगिक नीति के निरूपण में तकनीकी विकास निदेशालय की प्रमुख भूमिका होती है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति एवं प्रक्रिया का अन्तिम रूप तकनीकी विकास निदेशालय द्वारा दिया जाता है।

इस निदेशालय के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, तकनीकी विकास हैं, जिन्हें सहयोग करने हेतु अपर निदेशक (तकनीकी), संयुक्त निदेशक (तकनीकी), उप निदेशक (तकनीकी), सहायक निदेशक (तकनीकी) एवं तकनीकी पदाधिकारी हैं।

## हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम के नियंत्रण में इस निदेशालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हस्तकरघा एवं रेशम प्रक्षेत्र का समुचित विकास एवं राज्य के रेशम/मलवरी उत्पादकों तथा बुनकरों के कल्याणार्थ विभिन्न प्रकार की योजनाओं का कार्यान्वयन करना है।

इस निदेशालय में निदेशक के सहायतार्थ संयुक्त उद्योग निदेशक (तकनीकी), उप निदेशक (रेशम), सहायक निदेशक (बुनकर हस्तकरघा) एवं तकनीकी पदाधिकारी हैं। निदेशालय द्वारा हस्तकरघा एवं रेशम के विकासात्मक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है तथा रेशम एवं हस्तकरघा विकास की केन्द्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं का सूत्रीकरण, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण के कार्य किये जाते हैं। साथ ही राज्य के हस्तकरघा बुनकरों के सहकारी सहयोग समितियों का प्रशासी विभाग, उद्योग विभाग है।

**हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय**

हस्तकरघा प्रक्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु क्षेत्रीय स्तर पर उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) कार्यालय भागलपुर/गया/मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में तथा रेशम प्रक्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सहायक उद्योग निदेशक (रेशम) कार्यालय पटना/भागलपुर/पूर्णिया एवं मुजफ्फरपुर में अवस्थित है। आठ बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, आठ मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र पाँच तसर अग्र परियोजना केन्द्र व एक तसर क्रय विक्रय संगठन एवं अंडी रेशम फार्म बेगूसराय भी कार्यरत है। इनके सहायतार्थ तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारी पदस्थापित है।

## खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय

इस निदेशालय में निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण को संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवालय सहायक, अर्थ अन्वेषक एवं उद्योग विस्तार पदाधिकारी द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

## बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) वर्ष 1974 के अधिनियम द्वारा उद्योग विभाग के तहत स्थापित है। बियाडा के नियंत्री पदाधिकारी प्रबंध निदेशक होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार में औद्योगिक क्षेत्र, प्रांगणों को विकसित कर आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना है। बियाडा के अंतर्गत चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनके अधीन कुल 52 औद्योगिक क्षेत्र / प्रांगण / विकास केन्द्र एवं मेगा औद्योगिक पार्क अवस्थित है।

## आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

राज्य सरकार द्वारा राज्य के भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचनाओं के तीव्र विकास एवं निजी प्रक्षेत्र की भागीदारी तथा प्रारुपण, वित्त–पोषण, पथ निर्माण, परिसंचालन, रख–रखाव आदि से संबद्ध विषयों पर प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक विलंब कम करने के उद्देश्य से बिहार आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) अधिनियम 2006 लागू किया गया। इसके तहत आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार का गठन 27.04.2006 को किया गया। इस प्राधिकार के अध्यक्ष सरकार के मुख्य सचिव एवं उपाध्यक्ष विकास आयुक्त हैं। साथ ही भूमि अर्जन के कार्य में तीव्रता लाने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के आलोक में लैंड बैंक की स्थापना 28.08.2006 को की गई। प्राधिकार के कार्यों का संपादन प्रभावी एवं सुचारु रूप से करने के लिए आधारभूत संरचना विकास प्राधिकर (वित्तीय, सेवा एवं तकनीकी) नियमावली, 2007 बनाई गई।

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना द्वारा आयोजित
समर कैम्प–2019 में भाग लेते हुए माननीय मंत्री, उद्योग

# विभागीय योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन

उद्योग विभाग के अन्तर्गत बृहत, मध्यम उद्योग प्रक्षेत्र तथा ग्राम/लघु उद्योग प्रक्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 में मूल योजना उदव्यय ₹535.00 करोड़ एवं पुनरीक्षित उदव्यय ₹584.60 करोड़ निर्धारित किया गया है, जिसके विरूद्ध मार्च–19 तक कुल ₹558.84 करोड़ (लगभग 95.50 प्रतिशत) व्यय हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री अनु0जाति एवं अनु0जनजाति उद्यमी योजना हेतु ₹137.72 करोड़ आधारभूत संरचना का विकास हेतु ₹54.57 करोड़, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति हेतु ₹284.75 करोड, हस्तशिल्प प्रक्षेत्र का विकास हेतु ₹20.00 करोड़, हस्तकरघा एवं रेशम प्रक्षेत्र का विकास हेतु ₹14.87 करोड, खादी प्रक्षेत्र का विकास हेतु ₹8.30 करोड़, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु ₹19.90 करोड़ एवं निगमों का पुनरूद्धार हेतु ₹15.00 करोड़ पुनरीक्षित उद्व्यय कर्णांकित किया गया था।

★ सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिये गये हैं तथा सफल कार्यान्वयन की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं।

- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के सभी या किसी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 दिनांक 2 दिसम्बर, 2016 से लागू की गई है। इसमें वित्तीय अधिसीमा को संशोधित करते हुए वैसे प्रस्ताव जिनमें ₹5.00 करोड़ ( पाँच करोड़) और उससे कम निवेश हो उसे औद्योगिक विकास आयुक्त, जिनमें ₹5.00 करोड़ (पाँच करोड़) से अधिक और ₹15.00 करोड़ (पन्द्रह करोड़) तक का निवेश निहित हो उस पर माननीय मंत्री उद्योग विभाग, जिनमें ₹15.00 करोड़ (पन्द्रह करोड़) से अधिक और ₹30.00 करोड़ (तीस करोड़) तक का निवेश निहित हो उस पर माननीय मंत्री, उद्योग विभाग तथा माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया जायेगा। ₹30.00 करोड़ (तीस करोड़) से उपर के निवेश प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने का प्रावधान किया गया है।

- राज्य में औद्योगिक निवेश के विकास एवं प्रोत्साहन को सहज बनाने के उद्देश्य से बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 सितम्बर, 2016 से लागू है। इसके तहत निवेशकों द्वारा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर 30 दिनों के भीतर राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् द्वारा स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रावधान है। उद्योग स्थापना एवं उत्पादन प्रारंभ करने के लिए सभी प्रकार के क्लियरेंस 30 दिनों अथवा संबंधित अधिनियम/नियम में विहित समय–सीमा के अंदर किये जाते हैं। यदि इस समय–सीमा के अंदर संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा क्लियरेंस नहीं दिया जाता है, तो उन उद्यमियों को डीम्ड क्लियरेन्स (Deemed Clearance) देने का प्रावधान है, जो एस.आई.पी.बी. सचिवालय द्वारा निर्गत किया जायेगा। उद्यमी द्वारा स्व–अभिप्रमाणित दस्तावेज मान्य होगा। विहित समय–सीमा के अंदर क्लियरेंस नहीं देने पर समक्ष प्राधिकार को दण्ड देने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। सचिवालय के सदस्य आवेदनों की जाँच करेंगे और संबंधित क्लियरेन्स के लिए ऑनलाइन अनुशंसा संबंधित सक्षम प्राधिकार को करेगें। संबंधित सक्षम प्राधिकार ऐसी अनुशंसा–प्राप्ति के 30 दिनों या संबंधित अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाई गयी नियमावली में विहित समय–सीमा के भीतर जिसके अधीन

क्लियरेंस दिया जाना हो, निर्णय लेने के लिए बाध्य होगें। क्लियरेंस की सूचना ऑन–लाईन नियत समय के भीतर सचिवालय को दी जायेगी जिसे निवेशक को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि संबंधित विभाग क्लियरेंस देने में या निर्णय लेने में असफल रहता है तो क्लियरेंस दिया गया समझा जायेगा एवं राज्य पर्षद का सचिवालय इससे संबंधित डीम्ड क्लियरेंस निर्गत करेगा।

- राज्य में औद्योगिक निवेश तथा व्यापार को सुगम बनाने के लिए वर्ष, 2016 एवं 2017 में विभिन्न प्रक्षेत्रों यथा–सूचना की उपलब्धता, औद्योगिक विकास को उत्प्रेरित करने के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण, श्रम संसाधन संबंधी सुधार, पर्यावरण संबंधी सुधार किए गये हैं। निवेशकों को राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् का क्लियरेंस, उद्योग स्थापना/उत्पादन प्रारंभ करने के लिए सभी प्रकार के क्लियरेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा वित्तीय अनुमोदन प्रदान करने के लिए ऑनलाईन सिंगल विण्डो क्लियरेंस पोर्टल का निर्माण किया गया है तथा उद्योग स्थापना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा पाँच सीट वाले कॉल सेन्टर की स्थापना की गयी है।

- राज्य में स्थापित होने वाले औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए वर्ष, 2016 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 लागू की गयी है। नीति के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, लघु यंत्र विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवायें तथा इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रोनिक्स हार्डवेयर, टेक्सटाईल प्रक्षेत्र, प्लास्टिक एवं रबर प्रक्षेत्र, अक्षय ऊर्जा प्रक्षेत्र, हेल्थ केयर प्रक्षेत्र, चमड़ा प्रक्षेत्र एवं तकनीकी शिक्षा प्रक्षेत्र को उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र में रखा गया है। इस नीति के तहत स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क, भूमि सम्परिवर्त्तन शुल्क की शत् प्रतिशत छूट, ₹20.00 करोड़ तक ब्याज अनुदान तथा कर अनुदान देय है। इन सुधारों के उत्साहवर्द्धक परिणाम मिल रहे हैं।

  नियोजन सृजन के महत्व के मद्देनजर तीन व्यापक प्रक्षेत्रों यथा– आई.टी., आई.टी. समर्थित सेवाएँ तथा ई.एस.डी.एम. प्रक्षेत्र/खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र तथा कपड़ा, पोशाक तथा चमड़ा प्रक्षेत्र को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में संशोधन कर उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र रखा गया। उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के लिए विशेष अनुदान यथा– स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क में छूट, भूमि समपरिवर्त्तन शुल्क में छूट, ब्याज अनुदान, कर अनुदान, नियोजन खर्च सहायता तथा कौशल विकास सहायता का प्रावधान किया गया है।

  कारोबार आसान करने के लिए सूचनाओं की उपलब्धता के लिए ''उद्योग संवाद पोर्टल'', औद्योगिक विकास को उत्प्रेरित करने के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण, श्रम संबंधी सुधार, कर संबंधी सुधार, वातावरण संबंधी सुधार, सिंगल विण्डो क्लियरेंस व्यवस्था, सामान्य आवेदन प्रपत्र का प्रावधान, कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी का प्रावधान एवं बियाडा अधिनियम में सुधार का प्रावधान किया गया है।

  हाल के वर्षों में राज्य के अंतर्गत औद्योगिक माहौल में हुए सुधार के कारण उद्योग स्थापित करने हेतु राज्य के साथ–साथ बाहरी उद्यमियों की भी रूचि बढ़ी है। बियाडा को उद्यमियों से लगातार निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। वर्ष 2016 के बाद लगातार कार्यरत औद्योगिक इकाइयों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वर्ष 2018 में उद्योग की स्थापना हेतु कुल 49 इकाइयों के बीच 40.63 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। इस आवंटन से कुल 495.47 करोड़ का निवेश होगा एवं कुल 2806 लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। वर्तमान समय में बियाडा में कुल 2542 औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जिनमें से 1642 इकाई कार्यरत हैं।

# वृहत एवं मध्यम प्रक्षेत्र

★ यू.एस.ए. आधारित जी.ई. इलेक्ट्रीक कम्पनी द्वारा रेल मंत्रालय के सहयोग से मढ़ौड़ा, सारण में ₹750.00 करोड़ के निवेश से 120 अदद प्रति वर्ष क्षमता का डीजल लोकोमोटिव इंजन के उत्पादन हेतु इकाई की स्थापना की गयी है।

- फ्रांस आधारित मेसर्स एल्सटोम द्वारा रेल मंत्रालय के सहायोग से रामपुर, मधेपुरा में ₹450.00 करोड़ के निवेश से 120 अदद प्रति वर्ष क्षमता का इलेक्ट्रीक लोकोमोटिव के उत्पादन हेतु इकाई की स्थापना की गयी है, जिसमें उत्पादन प्रारंभ हो चुका है।

- मे. शिवशिवा स्टील प्रा. लि., नारायण प्लाजा, एक्जिबिशन रोड, पटना द्वारा ₹3023.77 लाख (तीस करोड़ तेईस लाख सतहत्तर हजार रूपए) की लागत के निजी पूँजी निवेश से ग्राम–'रायपुरा, प्रखण्ड–फतुहा, जिला–पटना में 1,20,000 एम.टी. वार्षिक क्षमता का टी.एम.टी. बार एवं क्वॉयल निर्माण ईकाई की स्थापना की गई है।

- मे.ए.सी.एम.ई. मगध सोलर पावर प्रा. लि., गुरूग्राम द्वारा ग्राम–ककवारा, प्रखण्ड एवं जिला– बांका में ₹7155.00 लाख (इकहत्तर करोड़ पचपन लाख रूपए) के निजी पूँजी निवेश 10 मेगावाट क्षमता का सोलर पी. भी. प्लान्ट की स्थापना की गई है।

- मे. ए. सी. एम. ई. नालन्दा सोलर पावर प्रा. लि., गुरूग्राम द्वारा ग्राम–ककवारा, प्रखण्ड एवं जिला– बांका में ₹10733.00 लाख (एक अरब सात करोड़ तेतीस लाख रूपए) के निजी पूँजी निवेश 15 मेगावाट क्षमता का सोलर पी. भी. प्लान्ट की स्थापना की गई है।

- सर्वश्री रिगल रिसोर्सेज प्रा. लि., कोलकाता द्वारा ठाकुरगंज, किशनगंज में कुल ₹6848.45 लाख (अड़सठ करोड़ अड़तालीस लाख पैंतालीस हजार) रूपए की लागत के निजी पूँजी निवेश से उच्च प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत 180 टी.पी.डी. क्षमता का मेज क्रसिंग स्टार्च प्लान्ट की स्थापना की गई है।

- मे. जयदयाल हाईटेक्स प्रा. लि., नदेशर, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) के द्वारा मौजा– चिपली, कर्मनाशा, प्रखण्ड– दुर्गावती, जिला– कैमूर (भभुआ) में कुल ₹3688.90 लाख (छत्तीस करोड़ अठासी लाख नब्बे हजार रूपए) के निजी पूँजी निवेश से 4200 मे. टन वार्षिक क्षमता का प्लास्टिक स्टोरेज बैग्स निर्माण ईकाई की स्थापना की गई है, इसमें उत्पादन प्रारंभ हो चुका है।

- मे. संजीवन राईस मिल्स प्रा. लि., सिक्युरिटी हाउस, 23–बी., एन. एस. रोड, कोलकाता द्वारा ग्राम–बिशनपुर, ब्लॉक–चकाई, जिला– जमुई में कुल ₹3889.30 लाख (अड़तीस करोड़ नवासी लाख तीस हजार रूपए) के निजी पूँजी निवेश 480 टी.पी.डी. क्षमता का आधुनिक पारब्याल्ड राईस मिल की स्थापना की जा रही है जिसके लिए वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- मे. सा विष्णु बेकर्स प्रा. लि., कोलकाता द्वारा चिलिम, शेरघाटी, गया में कुल ₹3329.55 लाख (तैंतीस करोड़ उनतीस लाख पचपन हजार रुपये) की लागत के निजी पूँजी निवेश से 3000 मे. टन प्रतिवर्ष क्षमता का पोटैटो चिप्स/टकाटक, नमकीन आदि उत्पादन ईकाई की स्थापना की गई है। इसमें उत्पादन प्रारंभ हो चुका है।

- मे. फीदरलाइट बिल्डकॉन प्रा. लि., किशनगंज द्वारा भटगाँव, ठाकुरगंज, किशनगंज में कुल ₹2347.33 लाख (तेईस करोड़ सैंतालीस लाख तैंतीस हजार रुपये) की लागत के निजी पूँजी निवेश से 115500 क्यूबीक मीटर क्षमता का ऑटोक्लेव कंक्रीट ब्लॉक/ब्रिक्स उत्पादन ईकाई की स्थापना की जा रही है जिसके लिए वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- मे. कृश ह्वाईट ब्रिक्स एल. एल. पी., बख्तियारपुर, पटना द्वारा ₹1895.55 लाख (अठारह करोड़ पंचानबे लाख पचपन हजार रूपए) की लागत के निजी पूँजी निवेश से औटो क्लेव ईरेक्टेट कंक्रीट ब्लॉक्स निर्माण ईकाई की स्थापना की गई है। इसमें उत्पादन प्रारंभ हो चुका है।

- मे. नारायणी फीड्स प्रा. लि., प. चम्पारण द्वारा ₹1211.60 लाख (बारह करोड़ ग्यारह लाख साठ हजार रूपए) की लागत के निजी पूँजी निवेश से उच्च प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत पॉल्ट्री एवं कैटल फीड्स निर्माण ईकाई एवं गोदाम की स्थापना की गई है। ईकाई में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है।

- मेसर्स आरणा फूड्स प्रा. लि., पटना के द्वारा ₹1259.83 लाख (बारह करोड़ उनसठ लाख तेरासी हजार रूपए) की लागत के निजी पूँजी निवेश से उच्च प्राथमिकता क्षेत्र मक्का प्रसंस्करण के अंतर्गत व्हीट फ्लोर, फीड निर्माण ईकाई की स्थापना की गई है। ईकाई में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है।

- मे. मेडिवर्सल हेल्थकेयर प्रा. लि., गोपालगंज द्वारा ₹2422.55 लाख (चौबीस करोड़ बाईस लाख पचपन हजार रूपए) की लागत के निजी पूँजी निवेश से प्राथमिकता क्षेत्र में 100 शैय्या का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना हेतु वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेन्स की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- मे. देवघर इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., जमुई द्वारा ₹1387.64 लाख (तेरह करोड़ सतासी लाख चौंसठ हजार रूपए) की लागत के निजी पूँजी निवेश से प्राथमिकता सूची में राईस मिल की स्थापना हेतु वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेन्स की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- मे. जय माता दी फूड प्रोसेसिंग प्रा. लि., बिहटा, पटना द्वारा ₹1171.00 लाख (ग्यारह करोड़ एकहत्तर लाख रूपए) की लागत के निजी पूँजी निवेश से प्राथमिकता सूची में राईस मिल की स्थापना हेतु वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेन्स की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- मे. पवित्र एग्रोटेक प्रा. लि., समस्तीपुर द्वारा ₹1447.46 लाख (चौदह करोड़ सैंतालिस लाख छियालिस हजार रूपए) की लागत के निजी पूँजी निवेश से प्राथमिकता सूची में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेन्स की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- मे. त्रिवेणी स्मेल्टर्स प्रा. लि., रायपुरा, फतुहा, पटना द्वारा ₹1181.00 लाख (ग्यारह करोड़ एकासी लाख रूपए) के निजी पूँजी निवेश से बिलेट निर्माण ईकाई की स्थापना की गई है। इसमें उत्पादन प्रारंभ हो चुका है।

# लघु उद्यम प्रक्षेत्र

## बिहार स्टार्ट–अप नीति , 2017 :

- राज्य सरकार द्वारा राज्य में युवाओं के उद्यमिता को बढ़ाने के लिए बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2017 लागू की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत की तिथि अर्थात् दि.–17.03.2017 से 05 (पाँच) वर्षों तक प्रभावी होगी। इस नीति के तहत राज्य में उद्योगों तथा इकाइयों को स्थापित करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु वातावरण तैयार किया जाएगा। वित्तीय सहायता, इन्क्यूबेशन सेंटर, फन्डिंग, प्रचार–प्रसार, प्रमाणीकरण आदि की व्यवस्था इस नीति के मुख्य अंग हैं।

- इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्टार्ट–अप हेतु 2756 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं, तथा अबतक कुल ऑनलाइन प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या 7312 है। इन्क्यूबेशन हेतु संबद्ध स्टार्ट–अप की संख्या 557 हैं। जिसमें से अबतक 29 स्टार्ट–अप को प्रमाणीकृत किया जा चुका है। प्रमाणीकृत स्टार्ट–अप को अबतक प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त तथा तृतीय किस्त मिलाकर कुल ₹326.48 वितरित किया जा चुका है।

## बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति :

राज्य में त्वरित औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016, 01 सितम्बर, 2016 से लागू की गई है। इस नीति अन्तर्गत प्राथमिक प्रक्षेत्र यथा–खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, लघु मशीन निर्माण, सूचना प्रावैधिकी, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, प्लास्टिक एवं रबर, चमड़ा, स्वास्थ्य सेवायें, गैर पारंपरिक उर्जा, वस्त्र एवं तकनीकी शिक्षा आदि है। इसके अलावा उच्च प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र के लिए भी विशेष सुबिधाएँ प्रदान की जाती है। उच्च प्राथमिकता में ई.एस.डी.एम. टेक्सटाइल एवं लेदर आई.टी. एण्ड आई टीज सेक्टर तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को रखा गया है जिसमें न्यूनतम निवेश ₹5.00 करोड़ से अधिक होना चाहिए। इस नीति अन्तर्गत निवेश हेतु दिनांक 31.03.2019 तक 1178 प्रस्ताव ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। जिसमें स्टेज–1 क्लियरेंस प्राप्त प्रस्ताव की संख्या 1028 एवं प्रस्तावित निवेश राशि ₹14200.22 करोड़ हैं। वित्तीय अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रस्तावों की संख्या 327 हैं, जिसमें से 256 को स्वीकृति प्रदान की गयी है और इसमें प्रस्तावित पूँजी निवेश की राशि ₹2091.23 करोड़ है। कार्यरत इकाइयों की संख्या 139 हैं जिसमें निवेशित कुल राशि ₹964.42 करोड़ हैं। कार्यरत इकाइयों में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 3334 हैं।

**सेक्टर वाइज स्टेज–1 क्लियरेंस सहमति प्राप्त इकाइयों की संख्या :**

| सेक्टर | संख्या | निवेश (रू. करोड़ में) |
|---|---|---|
| खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र | 486 | 2805.40 |
| विनिर्माण प्रक्षेत्र | 149 | 1434.01 |
| उर्जा प्रक्षेत्र | 14 | 5953.31 |
| लघु यंत्र विनिर्माण प्रक्षेत्र | 14 | 109.15 |

| | | |
|---|---|---|
| प्लास्टिक एवं रबड़ प्रक्षेत्र | 116 | 362.50 |
| टेक्सटाईल प्रक्षेत्र | 17 | 63.47 |
| सूचना प्रौद्योगिकी प्रक्षेत्र | 12 | 39.92 |
| पर्यटन प्रक्षेत्र | 27 | 371.22 |
| तकनीकी संस्थान–इंजीनियरिंग कॉलेज/मैनेजमेन्ट संस्थान प्रक्षेत्र | 10 | 62.03 |
| हेल्थ केयर प्रक्षेत्र | 23 | 318.22 |
| प्राईवेट इण्डस्ट्रीयल पार्क | 02 | 679.52 |
| सीमेन्ट प्रक्षेत्र | 04 | 1011.80 |
| चीनी मिल (विस्तार) | 02 | 95.15 |
| अन्य | 152 | 853.94 |
| **कुल** | 1028 | 14200.22 |

## मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजनाः

बिहार राज्य की कुल आबादी में 15.7 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 0.9 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा को स्व–रोजगार हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों के द्वारा ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती थी क्योंकि इस प्रक्षेत्र के लोग कोलेट्रल सिक्यूरिटी (प्रतिभूति) एवं मार्जिन मनी हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। जिस कारण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवा एवं युवतियों द्वारा उद्यम स्थापित करना बहुत ही मुश्किल कार्य रहा है। अतः राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा को उद्योग स्थापित करने में अभिरूचि पैदा करने के उद्देश्य से एक विशेष स्व–रोजगार योजना की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसका क्रियान्वयन कर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को सृजित करना है।

इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया। इस योजना का शत–प्रतिशत वित्त पोषण उद्योग विभाग के द्वारा किया जाता है, अतः इस योजना अन्तर्गत लाभार्थियों को बैंकों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।

- यह योजना पूर्णरूपेण ऑन–लाईन हैं जिसकी वजह से उद्यमी घर बैठे इस योजना के लिए आवेदन दे सकते हैं। इस योजना में लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के लगभग 102 आईटम/उत्पाद को रखा गया है जैसे–खाद्य प्रसंस्करण के आईटम, लकड़ी फर्नीचर उद्योग के जुड़े आईटम, निर्माण उद्योग से जुड़े आईटम, दैनिक उपभोक्ता सामग्री, प्लास्टीक एवं रबड़ सामग्री, ग्रामीण इंजिनियरिंग, इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई.टी. आधारित, रिपेयरिंग एवं मेन्टनेंस, सेवा उद्योग, विविध उत्पाद, टेक्सटाईल एवं होजरी उत्पाद इत्यादि। यह योजना ₹10.00 लाख (अधिकतम) की है। इस योजना के अन्तर्गत संबंधित

प्रक्षेत्र के युवा एवं युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50 प्रतिशत अधिकतम ₹5.00 लाख विशेष प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत अनुदान/सब्सिडी तथा 50.00 प्रतिशत अधिकतम ₹5.00 लाख व्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) सहायता के लिए प्रति इकाई ₹25,000 की दर से व्यय किये जाने का प्रावधान है, जिसमें ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीच्युट को ₹10,000 रूपये तथा ₹5,000 रूपये प्रशिणार्थियों के आवासन हेतु दिया जाता है।

इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत 84 समान मासिक किस्तों में ब्याज मुक्त ऋण की वसूली किये जाने का प्रावधान है। प्रशिक्षण अब राज्य स्तर से प्रमंडलीय स्तर पर दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि अधिक से अधिक प्रशिणार्थी एक साथ प्रशिक्षण ग्रहण कर सकें। कालान्तर में इस प्रशिक्षण को जिला स्तर पर विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। जिला स्तर पर 2 से 3 प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर अधिक संख्या में लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने की योजना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर स्वावलंबी हो सकें। लाभार्थी को प्रथम किस्त की विमुक्ति के बाद द्वितीय एवं तृतीय किस्त के भुगतान में विलंब न हो, इसके लिए जिला स्तर पर एवं विभाग स्तर पर क्षमतावर्द्धन के साथ विशेष कोषांग के गठन की कार्रवाई की जा रही है। इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में 31,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 5,660 आवेदनों को चयनित किया गया है। इस योजना अंतर्गत चयनित आवेदकों में से 3,500 आवेदकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, शेष को प्रशिक्षण देने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रशिक्षण प्राप्त 3,500 आवेदकों को प्रथम किस्त रूप में कुल ₹90.00 करोड़ वितरित किया जा चुका है।

## निगमों का पुनरूद्धार की योजना :

Bihar Industrial Investment Policy 2016 की कंडिका 9.3.2 में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार राज्य वित्तीय निगम (BSFC), बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम (BICICO) एवं बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (BSIDC) के पुनरूद्धार पैकेज के तहत उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु तीनों निगमों को ₹5–5 करोड़ रूपये वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपलब्ध कराया गया है, ताकि निगम अपने स्तर से उद्योगों की स्थापना एवं विकास आदि हेतु उद्यमियों को ऋण मुहैया करा सके तथा इन निगमों की स्थिति सुदृढ़ हो सके।

## मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना :

मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजनांतर्गत कुल 8 क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु तैयार डी0पी0आर0 पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसके अन्तर्गत अबतक 7 क्लस्टरों झूला कलस्टर, कन्हैयागंज, नालंदा; सिलाव खाजा कलस्टर, नालंदा; राईस मिल कलस्टर, लखीसराय; मेहसी सीप बटन कलस्टर, पूर्वी चंपारण; बथना सीप बटन कलस्टर, पूर्वी चंपारण; ब्रास ब्रॉज यूटेन्सील कलस्टर, रामराय सिंघाड़ा, वैशाली; ब्रास ब्रॉज यूटेन्सील कलस्टर, कसेराटोला, प. चंपारण; में सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिए ₹1397.48 लाख मात्र की विमुक्ति की गई है। अपर्णा लेदर कलस्टर, फतुहा, पटना के लिए अभी राशि विमुक्त नहीं हुई है। मखाना क्लस्टर, सुपौल एवं सेनेटरी पैड क्लस्टर, लोदीपुर, सबौर तथा भागलपुर का DSR पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

## जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय भवन एवं प्रशिक्षण केन्द्र भवन (छात्रावास सहित) निर्माण/जीर्णोद्धार

वित्तीय वर्ष 2018–19 में जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर, हाजीपुर (वैशाली), खगड़िया, जहानाबाद, मधेपुरा, नवादा, पटना, पूर्णियाँ एवं सहरसा के कार्यालय भवन का जीर्णोद्धार हेतु संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार कुल अनुमानित लागत ₹7,87,33,103.00 (सात करोड़ सतासी लाख तैतीस हजार एक सौ तीन रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति एवं ₹2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) मात्र विमुक्ति/निकासी की गयी। जिला उद्योग केन्द्र समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, मधुबनी, मुँगेर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, सीवान के कार्यालय भवन निर्माण हेतु ₹17,43,20,100.00 (सतरह करोड़ तेतालीस लाख बीस हजार एक सौ रूपये) मात्र के अनुमानित लागत की स्वीकृति एवं विमुक्ति की गयी। जिला उद्योग केन्द्र, गया, दरभंगा, सारण (छपरा), मुजफ्फरपुर, सासाराम (रोहतास) में प्रशिक्षण केन्द्र भवन (छात्रावास सहित) निर्माण की योजनान्तर्गत ₹35.00 करोड़ (पैतीस करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं ₹24.00 करोड़ (चौबीस करोड़ रूपये) मात्र की विमुक्ति की गयी।

## औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 :

वित्तीय वर्ष 2018–2019 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत राज्य के औद्योगिक इकाइयों को देय सुविधाओं की प्रतिपूर्ति हेतु पुनरीक्षित उदव्यय ₹247.75 करोड़ राशि के विरूद्ध ₹244.14 करोड़ राशि सब्सिडी विमुक्त की गयी।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत वर्ष 2018–19 में 31.03.2019 तक SIPB (State Investment Promotion Board) की बैठक में कुल 1028 इकाइयों को स्टेज–II क्लियरेंस तथा 327 इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति प्रदान की गई है। SIPB (State Investment Promotion Board) के वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 126 इकाइयों को कुल ₹40.06 करोड़ (चालीस करोड़ छः लाख) का भुगतान किया गया है।

## खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय :

खाद्य प्रसंस्करण की समेकित विकास योजनान्तर्गत कुल 413 इकाइयों को PAMC (Project Approval Monitoring Committee) की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसकी कुल परियोजना लागत ₹474399.35 लाख है तथा कुल स्वीकृत अनुदान ₹94081.09 लाख है। कुल 325 इकाइयों को अनुदान स्वरूप ₹64570.00 लाख विमुक्त की गयी है। कुल 336 इकाइयाँ उत्पादनरत हैं। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कुल 49200 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

यह योजना 30.06.2016 को समाप्त हो गयी है। वर्त्तमान में खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय अन्तर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के लंबित दावों का निष्पादन किया जा रहा है।

## फैसिलिटेशन कॉन्सिल :

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत उद्योग निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सूक्ष्म लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल गठित है, जिसमें आपूर्त्तिकर्त्ता इकाइयों के लंबित भुगतान के मामलों पर सुनवाई की जाती है एवं उभय पक्षों को सुनकर आवश्यक निर्देश एवं आदेश पारित किया जाता है। विलंबित भुगतान के लिए

क्रेता को रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर का तिगुना चक्रवृद्धि ब्याज का भी भुगतान करने का प्रावधान है जिसकी गणना मासिक की जाती है। अभी तक कॉन्सिल की बैठक में कुल 62 आपूर्त्तिकर्त्ताओं इकाइयों के लंबित राशि के भुगतान से संबंधित मामलों पर सुनवाई की गई जिसमें से 26 मामलों को निष्पादित किया गया। 36 मामले पर सुनवाई की जा रही है।

## उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढ़ीकरण :

उद्योग विभाग, बिहार सरकार के अधीनस्थ उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के माध्यम से राज्य में हस्तशिल्प के विभिन्न विधाओं का विकास, प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार, विपणन, अनुरक्षण, नये–नये नमूनों के डिजाइन का निर्माण, उच्च प्रशिक्षण हेतु राज्य के शिल्पियों को राज्य से बाहर अध्ययन, प्रशिक्षण एवं शोध हेतु संस्थान द्वारा हस्तशिल्प के प्रक्षेत्र में निम्नांकित विकास योजनाएँ विगत वर्षों से चलाई जा रही है :

- **डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशाला :** वर्त्तमान युग भूमंडलीकरण और बाजारवाद का है। इसमें वर्चस्व उसी को प्राप्त होता है जो सर्वाधिक प्रभावशाली हो। उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना की ओर से राज्य के शिल्पियों को बाजार की मांग के अनुरूप नये–नये डिजाइन की ट्रेनिंग हेतु डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशाला का आयोजन राज्य के 45 स्थलों पर भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के IDPH योजनान्तर्गत किया जा रहा है।

- **राज्य पुरस्कार चयन हेतु प्रतियोगिता :** संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष हस्तशिल्प प्रक्षेत्र में कार्यरत शिल्पियों को राज्य पुस्कार से पुरस्कृत करने हेतु प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें राज्य के सैकड़ों शिल्पी प्रतियोगिता स्थल पर ही 09 दिनों तक रहकर नमूनों का निर्माण करते हैं और उन नमूनों में से 20 नमूनों को राष्ट्रीय स्तर के शिल्पकारों की निर्णायक समिति द्वारा स्टेट एवार्ड के लिए चुना जाता है। विगत 05 दिसम्बर, 2018 को उद्योग विभाग के सभागार में वर्ष 2015–16 के राज्य पुरस्कार के लिए चयनित 19 शिल्पकारों को राज्य पुरस्कार तथा 15 शिल्पकारों को श्रेष्ठता प्रमाण–पत्र से माननीय उद्योग मंत्री ने सम्मानित किया।

- **मंजूषा महोत्सव :** उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के तत्वाधान में भागलपुर में वित्तीय वर्ष 2015–16 से प्रत्येक वर्ष मंजूषा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। महोत्सव के दौरान 100 मंजूषा कलाकारों के द्वारा जीवन्त प्रस्तुति कराई जाती है। साथ ही हस्तशिल्प एवं हैण्डलूम के उत्कृष्ट नमूनों की बिक्री एवं प्रर्दशनी के लिए 50 स्टॉल राज्य के उत्कृष्ट हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों को निःशुल्क आवंटित किया जाता है।

- **क्रेता–विक्रेता मिलन का आयोजन :** हस्तशिल्प बिहार की सांस्कृतिक पहचान है और हमारे ग्रामीण जनजीवन से बहुत गहराई तक जुड़ा हुआ है। बिहार के टेराकोटा, टिकुली कला, मिथिला पेंटिंग और सिक्की कला जैसे कई शिल्पों की विविधता और संपन्नता चकित करने वाली है। लेकिन दुर्भाग्यवश क्रेताओं को ही इस संपदा की जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ शिल्पियों को भी वैसे खरीदारों का पता नहीं, जिन्हें वे अपना सामान बेच सकें। परिणामस्वरूप जिनके हाथ में हुनर है, वे आम तौर पर गरीब हैं। आवश्यकता है इन शिल्पियों को बाजार उपलब्ध कराने की ताकि वे अपनी प्रतिभा के मुताबिक काम कर सकें। इस उद्देश्य की प्रतिपूर्त्ति हेतु संस्थान द्वारा भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के IDPH योजनान्तर्गत 26 से 30 सितम्बर, 2018 तक पटना के ज्ञान भवन में पाँच दिवसीय क्रेता–विक्रेता सम्मेलन का उद्घाटन

बिहार के माननीय उद्योग मंत्री ने किया था। समापन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय केन्द्रीय परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री श्री अश्विनी चौबे थे।

- **मेला/प्रदर्शनी/समारोह:** बिहार हस्तशिल्पियों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संस्थान के द्वारा राज्य के विभिन्न जिलो में मेला/प्रदर्शनी/समारोह का आयोजन किया जाता है। जिसमें राज्य के शिल्पियों को निःशुल्क स्टॉल आवंटित कर उनको लाभान्वित किया जाता है। साथ ही राज्य के उत्कृष्ट हस्तशिल्प के विरासत से रू–ब–रू कराया जाता है। वर्ष 2018 में यह आयोजन सोनपुर, पटना, दिल्ली तथा शिलांग में किया गया।

- **सामान्य सुविधा केन्द्र:** भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के IDPH योजनान्तर्गत राज्य के पंद्रह स्थलों पर 15 करोड़ की लागत से हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत शिल्पियों हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें शिल्पियों के उपयोग हेतु सारी सुविधाएँ उपलब्ध रहेगी।

- **क्राफ्ट एक्सचेंज प्रोग्राम:** इस प्रोग्राम के तहत राज्य के शिल्पकारों एवं अन्य राज्यों के शिल्पकारों संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। जिसका उद्देश्य हस्तशिल्प का प्रचार–प्रसार अन्य राज्यों तक करना है। इसके अन्तर्गत महाबलीपुरम (तमिलनाडु) में 15–23 दिसम्बर, 2018 तक 10 सिद्धहस्त शिल्पी (बिहार) तथा 10 सिद्धहस्त शिल्पी तमिलनाडु के बीच क्राफ्ट एक्सचेंज कार्यक्रम सम्पन्न कराया गया।

- **भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला:**

  वर्ष 2018 के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (14–27 नवम्बर, 2018) प्रगति मैदान, नई दिल्ली का थीम–रूरल इन्टरप्राइजेज इन इंडिया के अनुरूप बिहार मंडप के बाहरी एवं भीतरी भाग की भव्य सजावट की गयी, जिसमें मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग एवं टिकुली कला की सुन्दर एवं आकर्षक झलक देखने को मिला।

  इस मेले में बिहार मंडप के माध्यम से हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा के 07 स्टॉल लगाए गए जिसके द्वारा विकास कार्यों के साथ–साथ हैण्डलूम एवं हस्तशिल्प उत्पादित सामानों की बिक्री–सह–प्रदर्शनी का सफल आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त टेराकोटा, मंजूषा पेंटिंग एवं सिक्की कला का जीवन्त प्रदर्शनी भी मेला का मुख्य आकर्षण का केन्द्र रहा।

  इस वर्ष आई.टी.पी.ओ., प्रगति मैदान, नई दिल्ली के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिहार मंडप को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एवं उत्कृष्ट मंडप के लिये स्वर्ण पदक से नवाजा गया है।

  वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त योजना हेतु कुल ₹73.00 लाख स्वीकृत प्रदान की गयी है।

  **प्रवासी भारतीय दिवस, 2019:** इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रवासी भारतीयों को देश के विकास में हाथ बँटाने हेतु प्रोत्साहित करना है।

  वर्ष 2019 में प्रवासी भारतीय दिवस, (21–23 जनवरी, 2019) आयोजन का थीम–Ancient India: Modern India के अंतर्गत To Project India as Innovation, Growth and Entrepreneurial Destination सबथीम थी।

इस आयोजन में राज्य के योजनाओं, नीतियों एवं उपलब्धियों के प्रदर्शन के साथ क्राफ्ट बाजार भी लगाया गया।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त आयोजन वाराणसी (उ0प्र0) में आयोजित हुई।

वित्तीय वर्ष 2018–19 उक्त योजना हेतु कुल ₹60.00 लाख स्वीकृत प्रदन की गयी है।

**बिहार उत्सव :** इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राज्य के गौरवशाली विरासत एवं प्रगतिशील बिहार को जन–जन तक पहुँचाने के साथ–साथ राज्य के शिल्पियों को Boost up करना है। मार्च, 2018 में बिहार उत्सव का आयोजन आई.एन.ए.,दिल्ली हाट, नई दिल्ली एवं गाँधी मैदान, पटना में किया गया।

आई.एन.ए., दिल्ली हाट, नई दिल्ली में 107 हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों को निःशुल्क स्टॉल आवंटित किया गया। हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों द्वारा अपने उत्पादों की बिक्री–सह–प्रर्दशनी लगायी गयी। उक्त आयोजन में लगभग ₹50.00 लाख की बिक्री की गयी।

वित्तीय वर्ष 2017–18 मे उक्त योजना पर कुल ₹58.19 लाख राशि व्यय किया गया।

वित्तीय वर्ष 2018–19 मे उक्त योजना हेतु कुल ₹84.19 लाख राशि की स्वीकृत प्रदान की गयी है।

राज्य स्तरीय मेला प्रदर्शनी 2018–19 राज्य के विभिन्न स्थानों में आयोजित होनेवाले मेला/प्रदर्शनी हेतु 32.00 लाख मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी।

**कौशल विकास कार्यक्रम :**

**हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम :** संस्थान के स्थापना काल से हस्तशिल्प के विभिन्न विधाओं में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने का प्रावधान है जो दो सत्रों (जनवरी–जून एवं जुलाई–दिसम्बर) में चलाया जाता रहा है। प्रत्येक सत्र में 78 अर्थात् एक कलैन्डर वर्ष में दोनों सत्र मिलाकर 156 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। चयनित प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिमाह ₹800.00 छात्रवृत्ति एवं पटना नगर निगम से बाहर रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क छात्रावास आवंटन किया जाता है एवं प्रति प्रशिक्षणार्थी ₹1500.00 प्रतिमाह छात्रावास भत्ता का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के IDPH योजनान्तर्गत राज्य के 20 स्थलों पर हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

**कौशल विकास मिशन कार्यक्रम :**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के बेरोजगार युवा एवं युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 8391 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का समय निर्धारित, जिसपर 2502.00 अनुमानित राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

**प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :**

प्रधानमंत्री रोजगार सजृन कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के भौतिक लक्ष्य 4348 एवं वित्तीय लक्ष्य (मार्जिन मनी) ₹10869.49 लाख के विरूद्ध अबतक 17568 आवेदन पत्र बैंको में ऋण स्वीकृति एवं भुगतान हेतु

अग्रसारित किया गया है। बैंकों के माध्यम से अबतक 1755 आवेदकों के बीच ₹5264.31 लाख मार्जिन मनी (अनुदान) के रूप में वितरित की गयी है।

**सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टीक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सिपेट)**

सिपेट, औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु ₹99.79 लाख व्यय की स्वीकृति की गई है जिससे उक्त योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को प्रशिक्षण कराकर रोजगार का अवसर प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त सिपेट, औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर के गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण हेतु ₹5,72,48,300.00 व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण लेने में सुविधा मिल सके।

## हस्तकरघा प्रक्षेत्र :

### (राज्य प्रायोजित)

- **गया जिला स्थित पावरलूम इकाइयों के द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को जमा किये गये शुल्क का 60 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्त्ति की योजना :** सभी पावरलूम इकाइयों को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा स्थापित नियमों का पालन करने हेतु बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को जमा किये गये शुल्क का 60 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जा रही है इसके लिए ₹100.00 लाख स्वीकृत प्रदान की गयी है।

- **खादी वस्त्रों की भाँति हस्तकरघा वस्त्रों के बिक्री पर 10% (दस) छूट देने की योजना :** दिनांक 01 फरवरी 2019 से बिहार में हस्तकरघा पर उत्पादित वस्त्रों पर खादी की भाँति बिक्री पर छूट देने का निर्णय लिया गया है ताकि खरीदने वाले को कम दाम पर सामान मिल सके। इस योजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ के माध्यम से कराया जा रहा है। जिसके लिए ₹5.00(पाँच) लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए नोडल एजेंसी बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ को उक्त राशि उपलब्ध करा दी गई है।

- **पुराने हैण्डलूम को 68 ईंच करघा में परिवर्तित करने की योजना :** वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के हस्तकरघा बुनकरों के पुराने लूम को 68 ईंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित)/इससे अधिक चौड़ाई के फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित) में परिवर्तित करने के निमित्त ₹44.82 लाख (चौवालीस लाख बेरासी हजार) की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- **बुनकर सहयोग समिति/संघों का चुनाव कराने हेतु निर्वाचन शुल्क का वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की योजना :** बुनकर समितियों के चुनाव कराने हेतु बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा जो शुल्क समितियों से ली जाती है, उसका वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए ₹2.50 लाख की राशि सीधे बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को उपलब्ध करा दी गयी है। बुनकर सहयोग समितियाँ/संघ बिना निर्वाचन शुल्क के चुनाव हेतु अपना आवेदन संबंधित पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। जिससे संघ/समितियाँ चुनाव की प्रक्रिया ससमय पुरा करने में सक्षम होगी।

- **राज्य संघ के लिए पुल फंड/बफर फंड की योजनाः** सतरंगी चादर उत्पादन में लगे बुनकरों को मजदूरी के भुगतान में प्रक्रियागत विलम्ब होने की स्थिति में उन्हें ससमय मजदूरी भुगतान तथा परफॉरमेन्स गारंटी हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में पुल फंड/बफर फंड के रूप में ₹200.00 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना को उक्त राशि उपलब्ध करा दी गई है।

- **शीप एण्ड उल संघ के लिए पुल फण्ड/बफर फण्ड की योजनाः** दि बिहार स्टेट शीप एण्ड ऊल विभर्स को–ऑपरेटिव यूनियन लि0, राजवंशीनगर, पटना के द्वारा विभिन्न सरकारी कार्यालयों/संस्थानों को आपूर्ति की जा रही कम्बलों/वस्त्रों की राशि का भुगतान में होने वाले विलम्ब के समाधान हेतु शीप एण्ड उल संघ को वित्तीय वर्ष 2018–19 में पुल फण्ड/बफर फण्ड के रूप में ₹50.00 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त राशि उपलब्ध करा दी गई है ताकि बुनकरों को आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। इस योजनान्तर्गत बुनकरों को उनके द्वारा किये गये बुनाई कार्यों के विरूद्ध ससमय पारिश्रमिक भुगतान किया जाएगा।

- **एन.एच.डी.सी. के ई–धागा पोर्टल/ई.आर.पी. सिस्टम के माध्यम से सूत आपूर्ति हेतु गारंटी राशि के रूप में 1.00 करोड़ (एक करोड़) रूपये एन.एच.डी.सी. को उपलब्ध कराये जाने की योजनाः** कार्यशील पूँजी के अभाव में बुनकरों द्वारा ससमय सूत का क्रय नहीं होने के कारण उनके द्वारा माँग के अनुरूप वस्त्र तैयार करने में कठिनाई होती है जिसके लिए यह व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था के तहत मात्र 10 प्रतिशत अग्रिम एवं 45 दिनों के क्रेडिट बेसिस पर सूत की आपूर्ति राज्य के हस्तकरघा/ऊलेन शीर्ष/क्षेत्रीय सहकारी संघ को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एन.एच.डी.सी.) के ई–धागा पोर्टल/ई.आर.पी. सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। एन.एच.डी.सी.लि., कोलकाता द्वारा आवेदक एजेंसी को माँग के अनुसार उचित/प्रतिस्पर्धित दर पर गुणवत्तायुक्त सूत की आपूर्ति किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में ₹86.43 लाख मूल्य के सूत की आपूर्ति लाभुक एजेंसी को किया गया है।

- **हैण्डलूम मार्क निबंधन की योजनाः** हैण्डलूम मार्क न केवल हाथ से बने वस्त्रों को लोकप्रिय करने में बल्कि खरीददार के लिए इस बात की गारंटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि जो उत्पाद वह खरीद रहा है वह वास्तव में हाथ से बुना गया है। इस मार्क से उत्पाद एवं निर्माता के नाम की स्पष्ट पहचान होगी।

  राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के सभी यू.आई.डी. उत्कीर्ण हस्तकरघा के धारक बुनकरों एवं प्राथमिक बुनकर सहयेाग समितियों/क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ को हैण्डलूम मार्क से निबंधित कराने की योजना के तहत् कुल ₹15.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- **यू.आई.डी. उत्कीर्ण लूम धारकों को कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने की योजनाः** वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्यान्तर्गत अवस्थित कार्यरत हस्तकरघा पर यू.आई.डी. (UID) उत्कीर्ण लूम धारकों को ₹10,000/–(दस हजार) प्रति बुनकर कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने हेतु ₹6,72,70,000.00 (छः करोड़ बहत्तर लाख सत्तर हजार) मात्र की स्वीकृति तथा इसमें प्रथम चरण में ₹6,66,00,000.00 (छः करोड़ छियासठ लाख) की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह लाभ यू.आई.डी. उत्कीर्ण पाटी लूम धारक कम्बल बुनकरों को भी मिलेगा। योजनान्तर्गत 1498 बुनकरों को लाभान्वित किया गया है।

## (केन्द्र प्रायोजित)

1. **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना :** प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत किसी भी कारण से मृत्यु होने पर बीमित व्यक्ति को ₹2.00 लाख जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। इसके अन्तर्गत पात्र बीमित हस्तकरघा बुनकर का अंशदान ₹80/– (अस्सी) का राज्य के बुनकर कल्याण कोष से भुगतान किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। योजनान्तर्गत 6307 पात्र बुनकरों के लिए ₹80 प्रति बुनकर के दर से बुनकर अंशदान की राशि 5,04,560/– रू0 संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को उपलब्ध करा दिया गया है।

## (विद्युतकरघा प्रक्षेत्र)

1. **विद्युत करघा बुनकरों को विद्युत अनुदान :** विद्युत करघा पर वस्त्र बुनाई के लिए बिजली खपत पर ₹3.00 प्रति यूनिट की दर से विद्युत अनुदान उपलब्ध कराई जा रही है। अनुदान राशि की प्रतिपूर्ति विद्युत करघा बुनकरों को करने के बजाय, लाभुकों को सीधे विद्युत विपत्र में ₹3.00 प्रति यूनिट की दर से काटकर विद्युत विपत्र ऊर्जा विभाग द्वारा भेजी जाती है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजनान्तर्गत ₹300.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके तहत 861 विद्युतकरघा इकाइयों को अनुदान दिया गया है। इस योजना का लाभ केवल गया जिला के बुनकर उठा रहे हैं।

2. **पावर टेक्स इण्डिया योजना :** वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, की योजना ''पावर टेक्स इण्डिया योजना'' से आच्छादित योजनाओं के तहत वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का एवं विद्युतकरघा बुनकरों को अपना अंशदान देने का प्रावधान रखा गया है। बिहार राज्य के बुनकर इस योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें, इस उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से भी विद्युतकरघा बुनकरों को अनुदान देने का निर्णय लिया गया है।

   वित्तीय वर्ष 2018–19 में सार्वभौमिक बीमा कवरेज योजनान्तर्गत 2600 विद्युतकरघा बुनकरों के लिए ₹80/– की दर से प्रति बुनकर अंशदान की राशि राज्य सरकार की ओर से वहन करने हेतु कुल ₹5.842 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही पावरटेक्स इण्डिया के योजनान्तर्गत भागलपुर में प्लेन विद्युतकरघा उन्नयन के लिए अनुदान राशि दी जा रही है।

## मलवरी विकास परियोजना :

राज्य में मलवरी रेशम उद्योग के बहुमुखी विकास के लिए उद्योग विभाग, ग्रामीण विकास विभाग कृषि विभाग एवं जीविका के सम्मिलित प्रयास से रेशम विकास की योजना का क्रियान्वयन कोशी एवं पूर्णिया प्रमण्डल में किया जा रहा है।

राज्य में मलवरी विकास की संभावनाओं को देखते हुए मलवरी विकास परियोजना संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना का कार्यान्वयन जीविका द्वारा सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज एवं कटिहार में किया जा रहा है। मलवरी की खेती मनरेगा निधि से किया जा रहा है। राज्य योजना मद से लाभुकों को सिंचाई, कीटपालन उपस्कर, कीटपालन गृह, विसंक्रामक क्रय, नोडल सेन्टर/रीलिंग यूनिट की स्थापना के लिए सहायता दी जा रही है। लाभुकों को समूह में गठित कर उन्हें प्रशिक्षण एवं अध्ययन भ्रमण आदि RKVY से किया जा रहा है।

इस प्रकार यह एक Convergenc Plan है। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार आदि जिलों में मलवरी उत्पादन होता है। वर्तमान में 6360 किसानों का चयन किया गया है। कुल 4667 किसानों द्वारा अबतक 2305 एकड़ में शहतूत की खेती की गयी है। 1975 लाभुकों को सिंचाई सुविधा, 2068 लाभुकों को कीटपालन उपस्कर उपलब्ध कराया गया है। 749 लाभुकों को कीटपालन घर बनाने के लिए सहायता दी गयी है। वर्ष 2018–19 में 97500 रोग मुक्त चकत्ते का कीटपालन कर लगभग 19.00 मि0टन मलवरी को, का उत्पादन किया गया है।

## तसर विकास परियोजना :

बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमूई आदि जिलों में तसर विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में 5434 परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। वर्ष 2018–19 में राज्य में 36.5 मि0टन तसर रॉ सिल्क का उत्पादन हुआ है।

मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना (2012–17) के तहत 3416 हेक्टर निजी भूखंड एवं 6120 हेक्टर वन भूमि पर तसर पौधे लगाये गये हैं। तसर सूत उत्पादन के लिए बांका में 6 CFC स्थापित किया गया है। अग्र परियोजना केन्द्र, इनारावरण कटोरिया, बांका एवं श्यामबाजार, बांका में प्रशासनिक भवन एवं 5 बीजागार भवन का निर्माण हो चुका है। दो ककून बैंक स्थिपित किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये 2860 लाभुकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

थाई रीलिंग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बांका एवं भागलपुर के 661 थाई रीलरों को बुनियाद मशीन निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

## अण्डी :

बेगूसराय जिले में अण्डी रेशम का उत्पादन होता है। वर्तमान 1373 परिवार इस उद्योग से जुड़े हैं। वर्ष 2018–19 में 8.00 मि0टन अण्डी सूत का उत्पादन हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले में 100 व्यक्तियों को अण्डी की खेती एवं कीटपालन का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें कीटपालन घर बनाने के लिए प्रथम किस्त के रूप में ₹35000.00 की सहायता दी गयी है।

## हस्तकरघा एवं रेशम भवन :

रेशम नगरी, भागलपुर में ₹1364.00 लाख की लागत से हस्तकरघा एवं रेशम भवन का निर्माण भवन निर्माण निगम से कराया जा रहा है।

इस प्रकार राज्य में रेशम विकास के माध्यम से ग्रामीण आबादी को स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

## खादी :

बिहार राज्य में अवस्थित खादी ग्रामोद्योग संस्था/समिति के लिए बिहार सरकार द्वारा खादी पुनरूद्धार योजना लागू की गई है। बिहार में खादी तथा ग्राम स्वराज्य की कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में विशेष तौर पर महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं अन्य नये अवसर सृजित किये जा रहे हैं।

तथा खादी के नई तकनीकी को अपनाकर राज्य के बुनकरों एवं कारीगरों के पलायन को रोका जा रहा है। इसके साथ ही खादी वस्त्र के उत्पादन पर बिक्री की क्षमता को बढ़ाकर खादी संस्था/समितियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसके तहत खादी संस्था/समितियों को निम्न प्रकार के लाभ दिये जा रहे हैं :–

1. **आधुनिक चरखा का वितरण :** खादी संस्था/समितियों को 1000 नग त्रिपुरारि मॉडल चरखा उपलब्ध कराया गया है। 915 नग चरखा संस्थाओं को उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार खादी पुनरूद्धार योजना के अंतर्गत अब तक कुल 1915 नग आधुनिक चरखा बिहार स्थिति खादी संस्था/समितियों को वितरण किया गया है।

2. **कटिया चरखा का वितरण :** भागलपुर एवं कुछ अन्य जिलों में जिन खादी संस्थाओं द्वारा रेशम के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। उन संस्थाओं के मांग पर 930 नग कटिया चरखा उपलब्ध कराया गया है।

3. **आधुनिक लूम का वितरण :** खादी पुनरूद्धार योजना के अन्तर्गत खादी संस्थाओं को नये लूम के वितरण के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है। प्रति आधुनिक लूम ₹30,000 दिया जा रहा है। जिसका 10 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में खादी संस्थाओं द्वारा व्यय किया जा रहा है। अब तक 176 लूम विभिन्न संस्थाओं को वितरण किया गया है।

4. **कार्यशील पूँजी :** खादी संस्थाओं को अपना कार्य सूचारू रूप से चलाने तथा कच्चा माल एवं कतिनों/बुनकरों को समय पर पारिश्रमिक देने हेतु कार्यशील पूँजी मात्र 4 प्रतिशत के ब्याज पर ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 65 संस्थाओं को लगभग ₹8.80 करोड़ उपलब्ध कराया गया है।

5. **प्रशिक्षण :** आधुनिक एवं उन्नत चरखा तथा लूम के संचालन हेतु कतिन एवं बुनकरों को नये डिजाइन का प्रशिक्षण देकर बाजार की मांग के अनुरूप खादी वस्त्रों का उत्पादन किया जा रहा है। खादी वस्त्रों की डिजाइन एवं गुणवत्ता में वृद्धि की जा रही है।

6. बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के माध्यम से 300 कतिनों को सूत कताई एवं 75 बुनकरों को वस्त्र बुनाई का प्रशिक्षण दिया गया। बाँका, जमुई एवं मधुबनी में वस्त्र बुनाई का प्रशिक्षण तथा नेपुरा, नालन्दा में सूत कताई का प्रशिक्षण दिया गया है।

7. बिहार के 41 खादी संस्था/समितियों को लैपटॉप एवं टैली सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराकर टैली सॉफ्टवेयर में कार्य करने हेतु प्रशिक्षण भी दिया गया है। जिससे खादी संस्था को सहजतापूर्वक लेखा का कार्य करने तथा अपना प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर सके।

8. बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के माध्यम से बिहार के खादी संस्थाओं को मार्केटिंग की सुविधा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। इसके तहत खादी की बिक्री एवं प्रचार–प्रसार के लिए खादी मेला–सह–प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिससे खादी वस्त्रों की बिक्री में काफी वृद्धि हुई है।

   खादी संस्थाओं को बाजार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय खादी महोत्सव का आयोजन ज्ञान भवन, गाँधी मैदान, पटना में किया गया। इसमें राज्य के खादी संस्थाओं के अलावा दूसरे राज्य की खादी संस्थाओं द्वारा भाग लिया गया।

9. बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी के प्रचार–प्रसार हेतु अन्य राज्यों जैसे कोच्चि (केरल), सेलम (तमिलनाडु) एवं मुम्बई (महाराष्ट्र) में बिहार खादी उत्पादित वस्त्रों की बिक्री को बढ़ावा देने तथा Buyer Seller Meet मेला / प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है।

10. खादी बोर्ड, पटना द्वारा खादी वस्त्रों के प्रति जन साधारण के बीच ज्यादा से ज्यादा जागरूगता पैदा कर खादी वस्त्रों को अपनाने हेतु प्रचार भान के माध्यम से चलन्त खादी बिक्री–सह–प्रदर्शनी वाहन का परिचालन प्रारम्भ किया है, जिससे खादी वस्त्र पहनने के प्रति लोगों में जागरूगता पैदा होगी एवं खादी की बिक्री एवं मार्केटिंग में वृद्धि होगी।

11. **खादी के रेडीमेड वस्त्रों को नया डिजाइन तैयार करना :** खादी के रेडीमेड गारमेन्ट्स के नये डिजाइन तैयार करने हेतु निफ्ट, पटना के साथ एकरारनामा किया गया है। निफ्ट द्वारा 50 नये डिजाइन तैयार करके खादी बोर्ड को दिया गया है, जिसका रेडिमेड गारमेन्ट्स तैयार कर बाजार में 25 नये डिजाइन उतारा गया है एवं शेष पर कार्य चल रहा है।

12. खादी वस्त्रों के उत्पादन के बिक्री वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार बिहार द्वारा उत्पादित खादी वस्त्रों की बिक्री पर 10 प्रतिशत छूट दिया जा रहा है। यह छूट पुरे वर्ष आम जनता को मिलता है। खादी संस्थाओं द्वारा दी गई छूट की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

13. खादी भवन के पुराने शो–रूम के रेनोवेशन किया जा रहा है जिसकी कुल लागत ₹7.40 करोड़ होगा। यह शो–रूम पूर्व के शो–रूम से तीन गुणा बड़ा होगा, जिसमें खादी के सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों का अलग–अलग सेक्शन होगा। इसके अतिरिक्त ग्रामोद्योग के उत्पादों का अलग सेक्शन होगा। यह शो–रूम बनने से खादी एवं ग्रामोद्योग के सभी उत्पाद एक स्थान पर मिल पायेंगे। अक्टूबर, 2019 से यह कार्य करना प्रारंभ कर देगा।

    खादी बोर्ड का नया भवन बन रहा है, जिसकी लागत लगभग ₹17.00 करोड़ है। यह भवन भी इस वर्ष में तैयार हो जायेगा।

14. **खादी संस्थाओं का निबंधन :** खादी संस्था के रूप में कार्य करने हेतु 22 संस्थाओं के निबंधन हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) में आवेदन कराया गया है, जिसमें से 8 संस्थाओं को न्यू मॉडल आधुनिक चरखा (NMC) आवंटित किया गया है।

15. **खादी का ऑनलाईन मार्केटिंग :** Amazon India में खादी का Online Marketing किया जा रहा है। Amazon India के वेबसाइट पर 20 डिजाइन डाला गया है, जिसका Online Marketing हो रहा है। इसके लिए खादी बोर्ड एवं Amazon India के बीच एक एकरारनामा भी किया गया है। Flipkart से Online Marketing के लिए खादी बोर्ड द्वारा एकरारनामा हस्ताक्षर किया जा रहा है, शीघ्र ही Flipkart से भी Online बिक्री प्रारंभ की जायेगी।

16. खादी वस्त्रों की बिक्री हेतु रेमण्ड इण्डिया के साथ खादी बोर्ड का एकरारनामा किया गया है। रेमण्ड इण्डिया द्वारा बिहार के खादी संस्थाओं को 29,500 मीटर का आदेश दिया गया है, जिसे रेमण्ड इण्डिया को भेजा गया है।

17. **प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट :** खादी के योजना के कार्यान्वयन तथा खादी के विकास के लिए Grant Thornton India LLP को PMA के रूप में नियुक्त किया गया है। PMA के द्वारा खादी के उत्पादन, उसके गुणवत्ता तथा बिक्री में वृद्धि के लिए निम्न कार्य किये जा रहे हैं:–

i **Baseline Survey**: बिहार में स्थित खादी संस्थाओं का Baseline Survey Grant Thornton India LLP द्वारा किया गया है। इन खादी संस्थाओं का Baseline Survey& Diagnostic Study Report बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को समर्पित किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि वर्त्तमान में खादी संस्थाओं की जो स्थिति है उसमें कौशल विकास, प्रशिक्षण, बुनाई की नई तकनीक, नए डिजाइन आदि के लिए हस्तक्षेप (Intervention) की आवश्यकता है। वर्त्तमान में खादी संस्थाओं द्वारा जो डिजाइन तैयार किये जा रहे हैं, वो डिजाइन बाजार के अनुरूप नहीं है जिसके कारण उनकी बाजार में माँग कम है। इन बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में एक Maping Plan भी दिया गया है, जिसके तहत् 3 वर्षों में आवश्यक Intervention कर इन खादी संस्था को इस रूप में विकसित किया जा सके कि वे कताई एवं बुनाई की नई तकनीक अपनाकर बाजार के अनुरूप ला सके। इस सर्वेक्षण के अनुसार बिहार कुल 93 खादी संस्था है जो KVIB से निबंधित है, जिसमें 12 प्रायः मृत है और 10 संस्थाए कार्य नहीं करती हैं। इन संस्था में कार्य करने वाले कतिनों की संख्या 8011 है तथा बुनकरों की संख्या 1030 है। इन संस्था में 2854 (NMC) न्यू मॉडल चरखा, 1218 कटिया चरखा, 406 पीट लूम तथा 215 आधुनिक लूम दिया गया है।

ii **Time Motion Study**: PMA द्वारा खादी प्रक्षेत्र में कार्य करने वाले कारीगरों द्वारा किये जाने वाले उत्पादन एवं उनके आमदनी के बारे में एक अध्ययन किया गया है, जिसमें ये बात सामने आई कि खादी संस्थाओं में कार्य करने वाले कतिनों एवं बुनकरों को न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी मिलती है। कतिनों एवं बुनकरों को अधिक मजदूरी मिले इसके लिए कदम उठाये गये हैं।

iii **नया डिजाइन विकसित करना :** PMA द्वारा नियुक्त डिजाइनर द्वारा बाजार में प्रचलित 71 आधुनिक डिजाइन विकसित किये गये हैं, जिसे खादी संस्थाओं को सुपुर्द कर दिया गया है, जिसपर खादी संस्थाओं द्वारा कार्य भी किया जा रहा है।

iv **विपणन में सहायता :** खादी संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर का बाजार उपलब्ध कराने हेतु PMA के सहयोग से कोच्चि (केरल), सेलम (तमिलनाडू) एवं मुम्बई में Buyer & Seller Meet का आयोजन किया गया है, जिसके तहत् अन्य राज्यों के व्यापारियों द्वारा कई MOU हस्ताक्षर किये गये हैं। इसके अतिरिक्त रेमण्ड्स इंडिया तथा बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा एक MOU भी हस्ताक्षर किया है, जिसके गुणवत्ता के अनुरूप खादी संस्था का उत्पाद किया जायेगा। रेमण्ड्स इंडिया द्वारा बिहार के खादी संस्थाओं को आपूर्ति आदेश दिया गया है। इसके तहत् 10,000 मीटर का आदेश आपूर्ति खादी संस्था द्वारा किया जा रहा है।

v **Inventory Management System लागू करना :** PMA के सहयोग से खादी बोर्ड द्वारा संचालित शो–रूम में Inventory Management System (IMS) लागू किया गया है, इसके अतिरिक्त खादी संस्थाओं में भी इसे लागू करने का कार्य किया जा रहा है।

vi खादी संस्था/समितियों को 71 डिजाइन का सैंपल तैयार कर दिया गया है तथा 12 खादी संस्था/समितियों द्वारा तैयार सैंपल डिजाइन को प्रयोग में लाया जा रहा है।

vii G.T India के सहयोग से 5,000 नये डिजाइन के खादी के रेडिमेड गारमेन्ट्स तैयार किये जा रहे हैं, जो बाजार के माँग के अनुरूप है।

viii G.T India द्वारा खादी संस्थाओं का उत्पादन, बिक्री एवं कतिनों/बुनकरों के मजदूरी भुगतान का मासिक ब्यौरा प्राप्त किया जा रहा है, जिसे Portal पर डाला जा रहा है तथा इसे Online देखा जा सकता है।

ix PMA द्वारा किये गये Baseline Survey के आधार पर खादी नीति बनाई गई है, जिसपर मंत्री परिषद् के स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

## ताड़ आधारित उद्योग

ताड़ के पेड़ के उत्पादों पर आधारित उद्योगों के विकास हेतु नीरा एवं गुड़ निर्माण हेतु समेकित योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बिहार शरीफ एवं हाजीपुर में नीरा प्लांट स्थापित किया जा चुका है तथा गया एवं भागलपुर में नीरा प्लांट स्थापना हेतु कार्य किया जा रहा है। कम्फेड द्वारा नीरा की वोटलिंग एवं गुड़ का निर्माण कार्य किया जायेगा।

जीविका द्वारा अभी तक 38 जिलों में उत्पादक समूहों का गठन किया गया है। मध निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा कुल 68101 (अड़सठ हजार एक सौ एक) टैपरों को नीरा लाईसेन्स निर्गत किया जा चुका है।

### बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार:

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) वर्ष 1974 के अधिनियम द्वारा उद्योग विभाग के तहत स्थापित है। बियाडा के नियंत्री पदाधिकारी प्रबंध निदेशक होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार में औद्योगिक क्षेत्र प्रांगणों को विकसित कर आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना है। बियाडा के अंतर्गत चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनके अधीन कुल 52 औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण/ विकास केन्द्र एवं मेगा औद्योगिक पार्क अवस्थित है। वर्तमान समय में बियाडा में कुल 2542 औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जिनमें से 1642 इकाइ कार्यरत हैं।

### आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार:

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को राज्य के पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है, जबकि प्राधिकार के तहत स्थापित भूमि बैंक का कार्य भूमि अर्जन कर बिहार के औद्योगीकरण एवं अन्य विकासात्मक कार्य में योगदान एवं गति प्रदान करना है।साथ ही बिहार सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा सौंपे गये आधारभूत संरचना से संबंधित परियोजनाओं के निर्माण का कार्य आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के तकनीकी शाखा द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को विभिन्न योजनाओं का पी.पी.पी. के अन्तर्गत कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इनमें प्रमुख योजनाएँ यथाः जय प्रभा अस्पताल, कंकड़बाग, पटना का विकास, बिहार में फिल्म सिटी का निर्माण, बिहार के विभिन्न शहरों में मलिन बस्ती निवासियों हेतु सस्ते आवास का निर्माण इत्यादि योजनाओं के संदर्भ में कार्रवाई की जा रही है।

सामाजिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की दिशा में भी आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार अग्रसर है।

प्राधिकार द्वारा कार्यान्वित प्रमुख निर्माण परियोजनाओं की सूची निम्नवत् है।

- नेशनल इन्सटीच्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT), पटना।
- अरण्य भवन, पटना।
- नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी, नालंदा।
- स्टेट फॉरेस्ट ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट (SFTI), गया।
- इण्डियन ड्राईवर ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट, औरंगाबाद।
- बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय भवन का निर्माण, पटना।
- इण्डो डेनिश टूल रूम, पटना।
- बिहार एग्रीकल्चर एण्ड मैनेजमेंट इन्स्टीच्यूट (बामेती), पटना।
- महिला आई.टी.आई., दीघा, पटना।
- ओपेन जेल बक्सर,
- मंडल कारा जमुई,
- मंडल कारा भवन, अररिया।
- जिला निबंधन कार्यालय – शिवहर, औरंगाबाद, पूर्णिया, लखीसराय, भागलपुर, आरा, जहानाबाद।
- जिला परिवहन कार्यालय – मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, सुपौल, बांका, बेतिया, भभुआ, बिहारशरीफ, छपरा, रोहतास, मोतिहारी, गोपालगंज,सीतामढ़ी ।
- अवर निबंधन कार्यालय – बहादुरगंज (किशनगंज), दानापुर (पटना), सकरा (मुजफ्फरपुर), कमतौल (दरभंगा)।
- उच्च स्तरीय वन विश्राम गृह का निर्माण, राजगीर।
- जिला उद्योग केन्द्र – औरंगाबाद, बक्सर, खगड़िया, पूर्णिया, जहानाबाद, छपरा, मधेपुरा, नवादा, सुपौल।

**इसके अलावा प्राधिकार द्वारा निम्न परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है:**

- संयुक्त कृषि भवन, पटना।
- संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में 3डी थियेटर का निर्माण।
- महिला विकास निगम के कार्यालय भवन का निर्माण, पटना।
- महिला आई.टी.आई. – पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा।
- मंडल कारा भवन – भभुआ, जमुई फेज II (पार्ट II), हाई सिक्यूरिटी वार्ड, बक्सर,
- खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के भवन का कार्य।

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकर के तहत भूमि बैंक परियोजना में बिहार सरकार द्वारा कुल ₹1660.79 करोड़ (सोलह सौ साठ करोड़ उनासी लाख रुपये) मात्र राशि उपलब्ध करायी गयी है। उक्त भूमि बैंक निधि से निम्नलिखित परियोजनाओं हेत कुल ₹1478.08 करोड़ राशि उपलब्ध करायी गयी है :

1 कजरा (लखीसराय) तापगृह निर्माण हेतु भूमि अर्जन।

2. चौसा (बक्सर) तापगृह के निर्माण हेतु भूमि अर्जन।
3. पीरपैंती (भागलपुर) तापगृह निर्माण हेतु भूमि अर्जन।
4. जन उपयोगी कार्यों हेतु भू–अर्जन, नालंदा।
5. मेगा औद्योगिक पार्क, बिहटा।
7. रोहतास इन्डस्ट्रीज की मौजा सुअरा में स्थित भूमि का क्रय।
8. औद्योगिक क्षेत्र, बिहटा।
9. जिला, अनुमंडल एवं प्रखण्ड मुख्यालय स्तर पर 100/50/30 एकड़ भू–अर्जन परियोजनाः लखीसराय, सुपौल, बाँका, समस्तीपुर,।

इस प्रकार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलता, निष्ठा एवं सक्रियतापूर्वक कर बिहार के औद्योगिकरण एवं आधारभूत संरचना के विकास में अहम भूमिका अदा कर रहा है।

बिहार एग्रोकेम प्रा. लि., मुजफ्फरपुर

# वर्ष 2019–20 की भावी योजनाएँ

## हस्तकरघा प्रक्षेत्र

- ★ पुराने हैण्डलूम को 68 इंच फ्रेम लूम टेक–अप–मोशन सहित में परिवर्तित करने की योजना।
- ★ बिहार में हस्तकरघा पर उत्पादित वस्त्रों पर खादी की भाँति बिक्री पर छूट देने की योजना।
- ★ कार्यरत हस्तकरघा पर यू.आई.डी. (UID) संख्या उत्कीर्ण करघा धारकों को कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने की योजना।
- ★ इंटिग्रेटेड ऊल स्पीनिंग, मिलिंग एवं फिनिशिंग तथा कॉटन पुनी प्लांट की स्थापना।
- ★ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनान्तर्गत बुनकरों का अंशदान देने की योजना।
- ★ हैण्डलूम मार्क निबंधन योजना के तहत बुनकरों द्वारा देय निबंधन शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन की योजना।
- ★ बुनकर सहयोग समितियों/संघों के चुनाव पर होने वाले व्यय राशि वहन करने की योजना।
- ★ विद्युत करघा बुनकरों को विद्युत अनुदान देने की योजना।
- ★ पावर टेक्स योजनान्तर्गत पावर लूम बुनकरों को सार्वभौमिक बीमा योजनान्तर्गत अंशदान देने की योजना।
- ★ बुनकरों को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण की योजना।
- ★ सभी पावरलूम को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा स्थापित नियमों का पालन करने हेतु बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को जमा किये गये शुल्क के 60 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति की योजना।

## रेशम प्रक्षेत्र

- ★ मलवरी/तसर/अंडी रेशम के लाभुकों को कीटपालन उपस्कर/सिंचाई उपकरण/गृह निर्माण के लिए सहायता दी जायेगी। उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।
- ★ रेशम फार्मो में निर्माण/रीलिंग भवन का निर्माण कराया जायेगा।

## उद्योग निदेशालय

- ★ मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु कलस्टर विकास योजना,
- ★ उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु0संस्थान, पटना का सुदृढ़ीकरण की योजना,
- ★ कौशल विकास कार्यक्रम,
- ★ प्रशिक्षण कार्यक्रम,
- ★ बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016,

- ★ औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2011,
- ★ प्रचार एवं प्रकाशन,
- ★ आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना (जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यालय भवन/प्रशिक्षण केन्द्र एवं जीर्णोद्धार कार्य),
- ★ कृषि उत्पादों को संरक्षण/भंडारण के लिये एक ई0 रेडिएशन–सह–पैक हाउस की समेकित इकाई की स्थापना।

## तकनीकी विकास निदेशालय

- ★ राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रक्षेत्र के युवा/युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापना हेतु प्रोत्साहित करना है।
- ★ स्टार्ट–अप नीति–2017 के तहत स्टार्ट–अप को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाना है।
- ★ सिपेट, औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर में ब्यॉज हॉस्टल की स्थापना।
- ★ मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।

## विभाग के अधीन विभिन्न निगम

- ★ बिहार राज्य वित्तीय निगम (BSFC), बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम (BICICO) एवं बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (BSIDC) का पुनरूद्धार किया जाना है।

बिहार उत्सव, 2019

अनुज डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, पटना

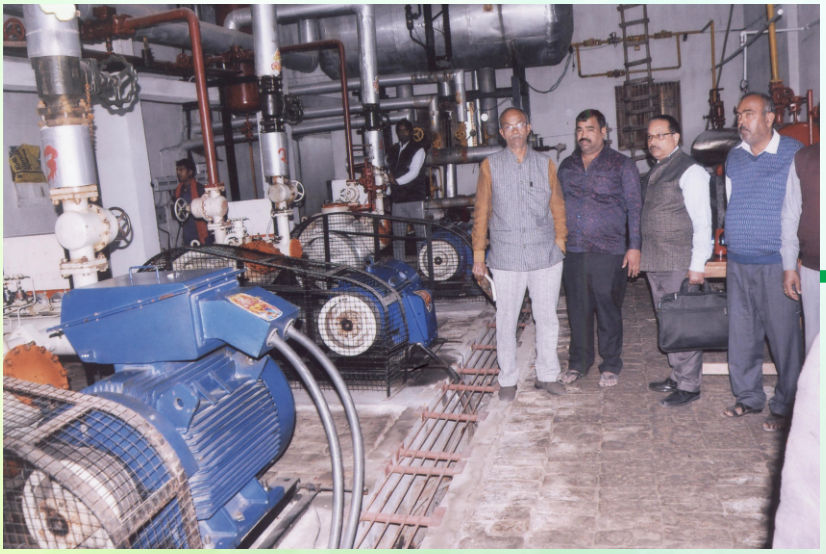

पवित्रा एग्रोटेक प्रा. लि., समस्तीपुर

बिहार सरकार

# उद्योग विभाग

Conceptualized, Designed & Printed by:
punament@gmail.com